

अन्तिम डिक्री मूल वाद पत्र  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्का दीवानी)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**  
पीठासीन अधिकारी :- अमिता विश्‍नोई आर.ए.एस.  
राजस्व वाद संख्या :- 56/2010

नेहरू लाल पुत्र रामरख जाति विश्‍नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ हाल तैनात सीमा सुरक्षा बल वटालियन संख्या 48 पश्चिमी बंगाल।

—वादी

—:बनाम:—

1. सुभाष पुत्रगण रामरख जाति विश्‍नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. आत्माराम
3. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।



— प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन**

दिनांक:- 28/02/2024


वादी की ओर से श्री ओम प्रकाश मोदी, प्रतिवादीगण की ओर से श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को अमिता विश्‍नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर खाता विभाजन की अन्तिम डिक्री निम्नानुसार की जाती है—

1. नेहरूलाल पुत्र रामरख जाति विश्‍नोई साकिन लिखमीसर खातेदार:- चक 8 एल.जी. डब्लयु. के प.न. 17/288 मु.न. 56 किला नं. 14/0.152, 15/0.177, 16/0.177, 17/0.152, 24/0.152, 25/0.177 कुल 0.987 हैक्ट. अनकमाण्ड।
2. आत्माराम पुत्र रामरख जाति विश्‍नोई साकिन लिखमीसर खातेदार:- चक 8 एल.जी. डब्लयु. के प.न. 18/288 मु.न. 55 किला नं. 11/0.253, 20/0.253, 21/0.253 व प.न. 17/288 मु.न. 56 किला नं. 15/0.076, 16/0.076, 25/0.076 कुल 0.987 हैक्ट. अनकमाण्ड रहन एसबीआई शाखा लिखमीसर।
3. केवल सिंह, सतपाल सिंह पिसरान गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी सुंदर सिंह वाला खातेदार:- चक 8 एल.जी.डब्लयु. के प.न. 17/288 मु.न. 56 किला नं. 9/2/0.228, 12/2/0.202, 14/0.101, 17/0.101, 23/0.253, 24/.101 कुल .986 हैक्ट. अनकमाण्ड (मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादी सुभाष द्वारा अपनी समस्त कृषि भूमि केवल सिंह, सतपाल सिंह पिसरान गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी सुंदर सिंह वाला को बैचान कर दिये जाने पर )

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में  आर राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा  की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक ०४/०४/२०२५ को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(अमिता बिश्नोई <sup>एम.ए.एस.</sup>)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
उपखण्ड अधिवक्ता पीलीबंगा  
पदेन सहायक कलेक्टर  
पीलीबंगा